राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी–एसपीएफसी) विभाग

क्रमांकः–प.4(1)/वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 जयपुर दिनांक– 13/05/2019

परिपत्र संख्या : 1/2019-20

परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्ष
राजस्थान

विषयः– राज्य लोक उपापन पोर्टल पर सूचनाओं के प्रकाशन तथा Content Archival Policy (CAP) के अन्तर्गत डाटा हटाने बाबत्।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, RTPP नियम, 2013 के नियम 4 तथा इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या–1 दिनांक 30.01.2014 तथा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा RTPP Act की धारा 17 के बिन्दु संख्या 1 से 8 में वर्णित समस्त सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है परन्तु अधिकांश प्रकरणों में यह पाया गया है कि कतिपय उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है जो कि पारदर्शिता की भावना के विरुद्ध है।

विदित हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 के मध्य उपापन संस्थाओं द्वारा SPPP पर कुल 45524 बोलियाँ अपलोड की गई जिनमें से मात्र 7028 बोलियों में ही कार्यादेश अपलोड़ किया जाना पाया गया है अर्थात उक्त अवधि में 38496 बोलियों में उपापन संस्थाओं द्वारा SPP Portal पर समयबद्ध कार्यादेश अपलोड नहीं किए गए है जिससे प्रतीत होता है कि राज्य उपापन पार्टल पर उपापन सम्बन्धी सूचनाओं के प्रकाशन के सम्बन्ध में कतिपय उपापन संस्थाओं द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 एवं RTPP Rules, 2013 के नियम 4 की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। उक्तानुसार उल्लिखित अपूर्ण डाटा को पोर्टल पर संगृहीत रखने से पोर्टल पर अतिरिक्त भार पड़ता है तथा पोर्टल की दक्षता भी प्रभावित होती है।

अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 से 31 मार्च, 2016 तक का डाटा राज्य लोक उपापन पोर्टल से हटाया जा रहा है तथा भविष्य में किसी भी उपापन संस्था को उक्त वर्णित डाटा की आवश्यकता होने पर ऑनलाईन सीआरएफ के जरिए वित्त (G&T-SPFC) विभाग के माध्यम से ई–मेल (cao.spfc@rajasthan.gov.in) के द्वारा राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (SPFC) से अनुरोध किया जा सकता है।

चूंकि राज्य लोक उपापन पोर्टल पर RTPP Act/Rules की अनुपालना में आमंत्रित की जाने वाली बोलियों से सम्बन्धित सूचनाऐं/दस्तावेजों को अनिवार्यतः प्रकाशित किए जाने का प्रावधान है अतः समस्त विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने विभाग एवं अधीनस्थ उपापन संस्थाओं से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन लोक उपापन पार्टल पर नियमानुसार निर्धारित अवधि में ही कराना सुनिश्चित कराएँ।

संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण /राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायलय,जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान ,जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार(सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार(प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर ।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, समस्त विभाग।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जयपुर।
16. निदेशक(तकनीकी), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम कराएँ।
17. प्रोग्रामर, वित्त (G&T-SPFC) विभाग को आवश्यक कार्यवाही एवं SPP पोर्टल पर परिपत्र को प्रेषित करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग